बिहार सरकार
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E-mail ID-sorrcd2012@gmail.com

पत्रांक :– मु0नि0(पथ)–02 / 2006 अंश–II 61 (अनु०) पटना दिनांक :– 24/9/2020

राज कुमार लाल,
संयोजक
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
–सह–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

1. **अभियंता प्रमुख,**
   ग्रामीण कार्य विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
2. **अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),**
   जल संसाधन विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
3. **अभियंता प्रमुख,**
   लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति,बिहार, पटना।
4. **अभियंता प्रमुख,**
   तकनीकी परीक्षक कोषाग, निगरानी विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
5. **अभियंता प्रमुख,**
   भवन निर्माण विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
6. **अभियंता प्रमुख,**
   लघु जल संसाधन विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार,पटना।
7. **मुख्य अभियंता (असैनिक),**
   बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
8. **मुख्य अभियंता (विद्युत),**
   भवन निर्माण विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।

विषय :– **राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक–23.09.2020 को आहूत बैठक की कार्यवाही की प्रति के प्रेषण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–23.09.2020 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

24.9.20

(राज कुमार लाल)
संयोजक,
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
–सह–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

24/9/2020

दिनांक–23.09.2020 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय :–

1. <u>जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुसूचित दर पुस्त 2020 से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में</u>–जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुशंसित अनुसूचित दर पुस्त 2020 को अनुमोदित करने से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर समिति के सदस्यों द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। वर्त्तमान अनुसूचित दर पुस्त 2020 का दर–विश्लेषण मुख्यतः दिनांक–07.12.2007 एवं दिनांक–04.07.2019 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में जल संसाधन विभाग के अनुमोदित अनुसूचित दर प्रपत्र के आधार पर तैयार किया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुसूचित दर पुस्त 2020 में प्रयुक्त की जानेवाली निर्माण सामग्रियों (Non woven Geo bag of size 1M×0.7M एवं Empty new Cement bag Conforming to IS 11652:2000 सहित), Plant Machinery एवं कार्य मदों के दर (दर–विश्लेषण सहित) को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

   समिति द्वारा सर्वसम्मति से जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अनुसूचित दर पुस्त 2020 को दिनांक–01.10.2020 से लागू करने का निर्णय लिया गया।

2. **<u>विभिन्न स्टील कम्पनियों यथा–RUNGTA Mines Ltd (Rungta steel), M/s Reliable Sponge Pvt. Ltd., Shyam Sel & Power Ltd., Shyam Metalics and Energy Ltd., Captain steel India Ltd., JSW steel Limited, Monnet Ispat & Energy Ltd., SPS steel Rolling Mills Ltd., (Elegant steel), Mittal Tech steel & Cement Pvt. Ltd. इत्यादि द्वारा पथ निर्माण विभाग के अनुसूचित दर पुस्त में Empanelment से संबंधित दिये गये आवेदन के संबंध में</u>**–इस संबंध में समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः MORT&H भारत सरकार, PWD-उत्तर प्रदेश, PWD-उड़ीसा एवं PWD-पश्चिम बंगाल को Email/पत्र के माध्यम से Steel Vendors के Empanelment हेतु Eligibility Criteria से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाय।

3. **<u>पथ निर्माण विभाग के पथ निर्माण में Prism Johnson Limited द्वारा निर्मित Admixture के Approval हेतु दिए गए आवेदन के संबंध में</u>**–इस संबंध में समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी कम्पनी विशेष का नाम पथ निर्माण विभाग के अनुसूचित दर पुस्त में सूचीबद्ध करना उचित नहीं है।

4. **<u>पुल निर्माण कार्य हेतु विभिन्न ब्यासों के कूपों के 40 मीटर गहराई के बाद किये जाने वाले कूप–गलाई के दर के संबंध में</u>**–पूर्व में दिनांक–25.03.2020 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में Well-Foundation के संदर्भ में 40 मीटर की गहराई के कूप–गलाई दर को हीं 40 मीटर से अधिक गहराई के कूप गलाई दर के रूप में अनुमोदित

P.T.O.

किया गया था, जिसपर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा Pro-rata basis के आधार पर पुनः विचार करते हुए दर–अनुमोदन करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में समिति के सभी सदस्यों द्वारा पुनः पुल निर्माण कार्य हेतु विभिन्न ब्यासों के कूपों के 40 मीटर गहराई से अधिक किये जाने वाले कूप गलाई के दर पर गहन विचार–विमर्श किया गया। विमर्शोपरांत समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जबतक MORT&H Standard Data Book में 40 मीटर से अधिक गहराई के कूप–गलाई का दर सम्मिलित नहीं होता है, तबतक किसी पुल निर्माण के well-foundation में 40 मीटर से अधिक गहराई के कूप गलाई के दर निर्धारण में, 30 मीटर से 40 मीटर के बीच कूप–गलाई में सन्निहित MORT&H Standard Data Book के प्रावधान अक्षरशः अनुमोदित किया जाता है। उक्त निर्णय सभी पुल परियोजनाओं में frequent use एवं आवश्यकता के आधार पर मान्य होगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त किया गया।

23/9/20
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

23/09/2020
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

23.9.20
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–मुख्य अभियंता (असैनिक) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लि0, बिहार, पटना

23/9/2020
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–मुख्य अभियंता, (विधुत) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

23/9/2020
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना

सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना

23/9/2020
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, मुख्यालय जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

संयोजक
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति –सह–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–03–54 / 2018 4760 / पटना, दिनांक 7/10/2020

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/x/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–03–54 / 2018 4760 / पटना, दिनांक 7/10/2020

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 / एम0एम0जी0एस0वाई0 / नाबार्ड, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/x/2020

अभियंता प्रमुख